न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 07 / 2011 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 10–01–2011 श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

1. गिर्राज } पि0 जयचन्दा जाति मीना निवासी ग्राम नगरियावास तहसील
2. कैलाश } लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम

1. रूगनाथ उर्फ रघुनाथ द0पु0 कन्हैया जाति मीना निवासी ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद दुरूस्ती व अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 6/9/22

उपस्थित :– श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट – वादी की ओर से

श्री रवि हाडा एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 47 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 108 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट में स्थित है। जिसकी खातेदारी जयचन्दा पुत्र श्योफुल के नाम अंकित थी। खातेदार जयचन्दा के निधन के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 201 जयचन्दा के वारिसान किशनी बेवा जयचन्दा व गिर्राज, कैलाश पि0 जयचन्दा के नाम तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा भरा गया एवं उन्ही के नाम तस्दीक किया गया परन्तु रूगनाथ उर्फ रघुनाथ जो जयचन्दा के जीवनकाल मे ही कन्हैया पुत्र हरफुल मीना निवासी नगरियावास के गोद चला गया था ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारीयो से साजकर अपना नाम नामान्तकरण संख्या 201

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (जिला दौसा (राज0)

वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट में अवैध रूप से जुडवा लिया। वादीगण उक्त समय छोटे बच्चे व नाबालिग थे जिनको उक्त रूगनाथ उर्फ रघुनाथ प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने की जानकारी प्राप्त नही हो सकी। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत व अवैध तरीके से अपना हिस्सा 1/4 दर्ज करवा दिया एवं मृतक किशनी की विरासत मे भी अपना नाम गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलकर दर्ज करवा लिया। आराजी खसरा नं0 47 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 106 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 108 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 जो कन्हैया के गोद चला गया है का नाम हजफ करवाया जाना कानूनन एवं न्यायार्थ आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। इस भूमि मे रूगनाथ उर्फ रघुनाथ प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नही है। इसलिए उक्त आराजी की खातेदारी मे दर्ज रूगनाथ का नाम हजफ करवाने की अधिघोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण जयचन्दा पुत्र श्योफुल के कानूनन एवं जायज उत्तराधिकारी है। रूगनाथ उर्फ रघुनाथ, कन्हैया के गोद जयचन्दा की मृत्यु से पूर्व ही चला गया था। इसलिए रूगनाथ उर्फ रघुनाथ द0पु0 कन्हैया का वादीगण की भूमि उक्त आराजी में जयचन्दा की विरासत के नामान्तकरण संख्या 201 मे गलत नाम दर्ज करवाया है जिसको दुरूस्ती हटवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारीयो से साज कर उक्त भूमि के हिस्से गलत दर्ज करवाये है जबकि उक्त भूमि में पहले कोई हिस्से दर्ज नही थे। इसलिए दर्ज हिस्सा को जरिये दुरूस्ती हटवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना नाम गलत व अवैध तौर पर दर्ज करवा लिया है जिसके आधार पर वर्तमान रिकार्ड मे नाम होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि मे दर्ज अपने हिस्से को किसी लठैत को हस्तान्तरिकत कर कब्जा करने की धमकी देता है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से भी प्रतिबंधित कराने के कानूनन अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू–भाग को किसी अन्य को किसी भी प्रकार हस्तान्तरित करने से स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर जवाब वाद पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। वादी की ओर वादपत्र के समर्थन मे जमाबन्दी सम्वत 2062–65, जमाबन्दी संम्वत 2054–2057, फोटो कॉपी नामान्तकरण संख्या 201, 206 व 63 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा उभय पक्षकारान में राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि जयचन्दा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरण जयचन्दा के तीनो पत्र वादीगण गिर्राज, कैलाश व प्रतिवादी रूगनाथ उर्फ रघुनाथ के नाम नामान्तकण 1/3 – 1/3 में खुल गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 रूगनाथ उर्फ रघुनाथ पुत्र जयचन्दा अपने पिता की मौजुदगी में ही कन्हैया पुत्र हरफुल मीना निवासी नगरियावास के गौद चला गया। इसलिए जयचन्दा की भूमि में रूगनाथ उर्फ रघुनाथ का कोई हिस्सा ही नही था। तथा मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नं0 106 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 109 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम नगरियावास में से प्रतिवादी संख्या 1 रूगनाथ उर्फ रघुनाथ का नाम विलोपित कर दिया जावे एवं खसरा नं0 47 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम नगरियावास में 03 बीघा 15.5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रूगनाथ उर्फ रघुनाथ द0पु0 कन्हैया की खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नं0 47 की शेष 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण गिर्राज, कैलाश की खातेदारी में 1/2 – 1/2 रहेगी। तथा वकील प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजीनामा, जमाबन्दी आदि का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया मुताबिक राजीनामा वादीगण का विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पांच आदमियो ने राजीनामा के अन्दर आराजी खसरा नं0 106 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 108 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट में से प्रतिवादी संख्या 1 नाम विलोपित किया जाकर खसरा नं0 47 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट मे से 03 बीघा 15.5 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 रूगनाथ उर्फ रघुनाथ दत्तक पुत्र कन्हैया की खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नं0 47 की शेष 13 बीघा 0.5 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 गिर्राज व वादी संख्या 2 कैलाश की खातेदारी में 1/2, 1/2 रहेगी के

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (राज०)

अनुसार खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने का हकदार है। इसलिए हमारी राय मे वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 आराजी खसरा नं0 106 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 107 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 108 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट में से प्रतिवादी संख्या 1 नाम विलोपित किया जाकर खसरा नं0 खसरा नं0 47 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम नगरियावास तहसील लालसोट में से 03 बीघा 15.5 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 रूगनाथ उर्फ रघुनाथ दत्तक पुत्र कन्हैया की खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नं0 47 की शेष 13 बीघा 0.5 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 गिर्राज व वादी संख्या 2 कैलाश की खातेदारी में 1/2, 1/2 रहेगी। वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है। इस आशय की तहरीर जारी हो। राजीनामा निर्णय का पार्ट रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/9/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गयाा।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)